फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. /202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पेश होने डिलीवरी स्टेटमेंट / प्रतिवादी सं. 1, 2/6, 3/15 के सम्मन तलबाना पेश होने पर जारियें Reg. A.D. जारी होकर वापसी दिनांक 1/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
(61)		
	1/5/24	पत्रावली पेश नहीं [illegible] सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/5/24 को पेश हो।
	15/5/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/7/24 को पेश हो।
	3/7/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/8/24 को पेश हो।
	21/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। वादी एवं उनके अधिवक्ता को रूक रूक कर बार-बार आवाज लगाई गई। समय 3.45 PM. हो चुका है। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः वादी का वाद वादी एवं वादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर